

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 2058/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 2735/2025

Mohammad Arshad S/o Ameen @ Munna, R/o House No. 1080,
Dudhiya Mohalla, Nasirabad, P.s. Nasirabad City, District Ajmer
(Accused Presently Confined In Central Jail Ajmer)

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Nasir Ali Naqvi, Sr. Adv.
Assisted By Mr. Happy Sharma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary Dy. GA
For Complainant(s) : Mr. Madhav Singh Rana, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Order

11/11/2025

1. प्रार्थी-अभियुक्त मोहम्मद अरशद की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय-विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), अजमेर, (राज.) के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-50/2017 उनवान राजस्थान राज्य बनाम मोहम्मद अमीन व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 04.10.2025, जिसके द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 148, 323 सपठित धारा 149, 308 भादस में दोषसिद्ध कर निम्न दण्डादेश पारित किया गया है, के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है-

अपराध अंतर्गत धारा	सजा	अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड
148 भादस	06 माह साधारण कारावास	5000/- रुपये	15 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास
323 सपठित धारा 149 भादस	06 माह साधारण कारावास	1000/- रुपये	15 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास
308 भादस	07 वर्ष कठोर कारावास	20,000/- रुपये	1 माह अतिरिक्त साधारण कारावास

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से नियम 311(3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।
3. बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है, उनका यह भी कथन है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के साथ मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा एक क्रॉस केस दर्ज करवाया गया था, उसमें परिवादी पक्ष को दोषसिद्ध किया गया है, उक्त क्रॉस केस से बचने के लिए परिवादी पक्ष द्वारा यह झूठी रिपोर्ट उनके विरुद्ध दर्ज करवाई गई थी, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज बयानों में आहतगण ने उन्हें धारदार हथियार से चोटें पहुंचाना कथन किया है, किंतु किसी भी आहत के धारदार हथियार से चोट नहीं आई है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त से कोई धारदार हथियार बरामद नहीं हुआ है, एवं जो सरिया उससे बरामद किया जाना बताया है उस पर कोई खून के धब्बे होना अंकित नहीं है, उनका यह भी कथन है कि आहत शुभम को सिर पर आई चोटों के संदर्भ में उसका दोबारा एक्स-रे करवाया गया था, किंतु उसकी एक्स-रे रिपोर्ट एवं प्लेट न्यायालय में प्रदर्शित नहीं हुई है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में गवाह पी.ड.-1 परिवादी सुरेश ने अपने बयानों में घटना के तुरंत बाद वहां पुलिस का पहुंचना स्वीकार किया है एवं प्रकरण में मजरूबा का मेडिकल मुआयना भी पुलिस के प्रार्थना-पत्र पर समय करीब 11:50 एएम पर करा दिया गया, किंतु उसके पश्चात् भी घटना की रिपोर्ट साढ़े 6 घंटे बाद दर्ज करवाई गई है एवं उसे देरी से दर्ज कराने का कोई संतोषजनक कारण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर प्रार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक

04.10.2025 पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद था एवं वह विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक **04.10.2025** से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी-अभियुक्त का सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. उप राजकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये संयुक्त रूप से कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा आहत के साथ मारपीट करना पूर्णतया प्रमाणित हुआ है, आहत शुभम उर्फ शिवम के सिर पर गंभीर चोट आई है, उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा पूर्व में दर्ज केस में राजीनामा करने के लिए धमकी दी जा रही है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

6. पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाए गए कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **मोहम्मद अरशद पुत्र अमीन उर्फ मुन्ना** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000-25,000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **12.12.2025** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए कारावास के दण्डादेश (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /33